

## परिचायक-टिप्पणी

जहां तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है। इसे तीन भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, और भाग-III आयोजना परिव्यय में बांटा गया है। विवरण और अनुबन्ध, जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है, स्वतः स्पष्ट हैं और उनका उल्लेख आलेख में यथास्थान किया गया है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मामले में विभिन्न विवरणों में शामिल की गई व्यय व्यवस्थाएं वसूलियां और प्राप्तियां घटाकर दिखाई गई हैं ताकि व्ययों और प्राप्तियों के आंकड़ों का बहुत अधिक विस्तार न हो। इसी प्रकार, राज्यों को दिए गये ऐसे अत्यावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया गया है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत व्यय के अनुमानों में, रेलवे मंत्रालय के लेन-देनों के विस्तृत विश्लेषण को सम्मिलित नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में रेलवे मंत्रालय सहित केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों का व्यय शामिल किया गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें खातों में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। इन वसूलियों की राशियों को अनुदानों की सम्बन्धित मांगों में भी दिखाया गया है। खाते में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने के बाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मर्दों को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ गैर-ऋण प्राप्तियों को भी घटाया गया है। इस पुस्तक के अनुबन्ध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार के समायोजनों के बाद व्यय को दिखाया गया है। अनुबन्ध 2 में अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ों तथा वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के जोड़ों और अनुदानों की मांगों का मिलान किया गया है।

4. इस बजट से, पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़ों को प्रत्येक मांग के लिए खण्ड-II में और खण्ड के विभिन्न विवरणों में सूचित किया जा रहा है। सूचित किए जा रहे वास्तविक आंकड़ों को लाख रूपए में मिलाया गया है और योजना स्तर पर निकटतम लाख में पूर्णांकन किया गया है। इस बजट में सूचित किए गए वर्ष 2009-10 के लिए वास्तविक आंकड़े अनन्तिम हैं।

5. 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजनाएं' दर्शाने वाला विद्यमान विवरण 21 को, बजट 2011-12 से दो पृथक विवरणों अर्थात् विवरण 21 (अनुसूचित जातियों के विकास की योजनाएं) और विवरण 21-क (अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजनाएं में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, "पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" वस्तुशीर्ष के अधीन प्रावधानों के दर्शाने के लिए एक नया विवरण (अनुबन्ध 6) भी समाविष्ट किया गया है।